तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम गंगाराम

26-2-26

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र पर नो–ऑब्जेक्शन अंकित किया। जिस पर पत्रावली आज पेशी में ली गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुए अपीलाधीन आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी करने का निवेदन किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 8 ता 10 द्वारा इस पर अनापति जाहिर की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–03–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। इस अपीलाधीन आदेश के द्वारा वाद वादी तलबी के अभाव/अदम तकमीलन में खारिज किया गया है।

न्यायालय के विनम्र मत में व्यवहार प्रक्रिया सहित की धारा 2(2),ख के अनुसार डिक्री के अन्तर्गत व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश नही आएगा। अतः अपीलाधीन आदेश डिक्री की परिभाषा में नही आता है।

अपीलाधीन आदेश आदेश 9 नियम 2 सीपीसी के तहत पारित किया गया है। सीपीसी के आदेश 43 मे अपीलाधीन आदेश की अपील का प्रावधान उल्लेखित नही है।

इस सूरत में अपीलाधीन आदेश की अपील मेन्टेनेबल नही होने के कारण हस्तगत अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते